FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई **मुकाम अराईं (अजमेर)**

- तेजपाल पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी ग्राम गागून्दा तहसील अराई जिला अजमेर राज।

–अपीलार्थी

बनाम

- केलाश जाट पुत्र स्व0 तेजू जाति जाट निवासी ग्राम भोगादीत तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य।

–प्रत्यर्थीगण।

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0राज0 अधि0 1956

नंबर 48/2025

ऑनलाइन नंबर 2025/ ....

वकील अपीलार्थी:– अशोक शर्मा **वकील प्रत्यर्थीगण........**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
30.7.2025	यह अपील अपीलार्थी की ओर से वकील अपीलार्थी श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 75 भू.राज.अधि. 1956 के तहत पेश किया गया। प्रा. पत्र पर वकील अपीलार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्राथीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 22/8/25 को पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी अराई	
22/8/2025 10/9/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। तामील रिपोर्ट प्राप्त जो शामिल मिसल है। बावजूद तामील अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 [illegible]। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पेशकार सरकार [illegible] जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 3/9/25 को पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)	[illegible]
3/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस सुनी गई। दस्तावेजों का [illegible] पेशकार सरकार [illegible] का अवलोकन किया गया। [illegible] स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया।	

गत्या। पत्रावली पेंडल शुमार होकर [illegible]
से रख दी।

WD

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास श्री मति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 48/2025 उनवान तेजपाल **बनाम** केलाश

तेजपाल पुत्र रामाकिशन, जाति जाट, उम्र लगभग वर्ष, निवासी ग्राम गागून्दा, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान ---अपीलार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. कैलाश जाट पुत्र स्व.तेजू, जाति जाट, निवासी भोगादीत, तहसील अरांई. जिला अजमेर, राजस्थान
2. किशनपाल पुत्र स्व. तेजू, जाति जाट, निवासी भोगादीत, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. गुमान देवी पत्नि स्व.तेजू, जाति जाट, निवासी भोगादीत, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
4. रतनी पुत्री स्व. तेजू, जाति जाट, निवासी भोगादीत, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
5. सीता पुत्री स्व.तेजू, जाति जाट, निवासी भोगादीत, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अराई जिला अजमेर राजस्थान

- प्रत्यर्थीगण / रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा **75** भू–राजस्व अधिनियम **1956** नामान्तरण संख्या 2292 दिनांक 5.9.2024 को स्वीकृत किये जाने के विरूद्ध

<u>आदेश</u>

निर्णय दिनांक ..l...........

उपस्थित : वकील वादी दौराने बहस

1- यह कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की सहखातेदारी कृषि भूमि वाकेग्राम भोगादित, पटवार हल्का भोगादित, मू.अ.नि.क्षेत्र भोगादित, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान में खसरा संख्या 437 क्षेत्रफल 0.1052 हैक्टेयर (किस्म गै.मु.पाल (0.1052), खसरा संख्या 442 क्षेत्रफल 0.0728 हैक्टेयर (किस्म मै.मु.पाल (0.0728), खसरा संख्या 443 क्षेत्रफल 7.8716 हेक्टेयर (किस्म बंजर-1 (1.9982), बारानी-1 (0.9304), बारानी-3 (4.5385), बारानी-A (04045), खसरा नं0 446 क्षेत्रफल 4.0693 हैक्टेयर (किस्म बंजर-1 (1.9982), बारानी-3 (1. 6989), बारानी-A (0.8414). कुल खसरा-04 का कुल क्षेत्रफल 12.1189 हेक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिसमें अपीलार्थी का 1/54 एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 5 का प्रत्येक का 01/270 हिस्सा अर्न्तनिहित है।उपरोक्त कृषि भूमि अपीलार्थी की पुश्तैनी कृषि भूमि है.जो उनके पिता श्रीरामा किशनजी के स्वर्गवास पश्चात् उनको जरिये विधिक वारिसान के रूप में प्राप्त हुई है। उक्त अपीलार्थी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के धारा

wl

8 के अनुसार प्रथम श्रेणी का विधिक वारिस है। अपीलार्थी अपनी उपरोक्त कृषि भूमि पर निहित हिस्सा 01/54 काबिज काश्त होकर उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे है।दिनांक 04.6.2025 को अपीलार्थी ने अपनी निहित हिस्सा कृषि भूमि की जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उसे पता चला कि राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से अपीलार्थी का विरासती नामान्तरण संख्या 2292 दिनांक 05.09.2024 को प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज हो गया है, जिससे अपीलार्थी के हित अधिकार प्रभावित हुये है।उक्त दर्ज नामान्तरण संख्या 2292 दिनांक 05.09.2024 के निरस्ती बाबत् अपील के आधार निम्न प्रकार से है।अपीलार्थी स्वयं जीवीत है, जिसके जीवीत रहते हुये अविधिक रूप से विरासती नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में गलत आधारों पर दर्ज किया गया है। जबकि अपीलार्थी जीवीत व्यक्ति है और किसी व्यक्ति के जीवीत रहते हुये उसकी विरासती नामान्तरण दर्ज नहीं हो सकता है। प्रत्यर्थीगण संख्या लगायत 5 के पक्ष में अपीलार्थी का जो विरासती नामान्तरण दर्ज किया गया है. उक्त प्रत्यथर्थीगण संख्या 1 लगायत 5 का अपीलार्थी से कोई संबध सरोकार ही नहीं है।अपीलार्थी के जीवीत रहते हुये, बिना किसी तथ्यों एवं आधारों के प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 5 का अपीलार्थी से कोई संबंध सरोकार नहीं होने के बावजूद भी अविधिक नामान्तरण संख्या 2292 दिनांक 05.09.2024 दर्ज किया गया है. जो अपास्त किये जाने योग्य है।अपीलार्थी का उक्त अविधिक नामान्तरण दर्ज होने से अपीलार्थी के हित प्रभावित होकर उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. गलत रूप से दर्ज अविधिक नामान्तरण संख्या 2292 दिनांक 05.09. 2024 अपास्त किये जाने योग्य है। अविधिक नामान्तरण संख्या 2292 अपीलार्थी जीवीत रहते हुये उसका विरासती नामान्तरण दर्ज किया गया, तत्पश्चात् दिनांक 04.05. 2025 को अपीलाथी द्वारा वर्तमान जमाबन्दी की सत्यापित प्रति प्राप्त की जिससे अपीलार्थी को अविधिक नामान्तरण संख्या 2292 दिनांक 05.09. 2024 की जानकारी हुई. जिससे सही करवाने के लिये अपीलार्थी ने तहसील कार्यालय में चक्कर लगाये, जहाँ पर अपीलार्थी को नामान्तरण के विरूद्ध अपील दायर करने के लिये कहा। इस प्रकार उक्त अविधिक नामान्तरण संख्या 2292 दिनांक 05.05.2024 दर्ज रहने से वाद कारण सतत् रूप से प्रारम्भ है।

अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 2292 दिनांक 05.05.2024 जो ग्राम भोगादीत, पटवार हल्का भोगादीत, भू.अ.नि.क्षेत्र भोगादीत, तहसील अराई, जिला अजमेर, राजस्थान स्थित खसरा संख्या 437 क्षेत्रफल 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 442 क्षेत्रफल 0.0728 हैक्टेयर, खसरा संख्या 443 क्षेत्रफल 7.8716 हैक्टेयर, खसरा संख्या 446 क्षेत्रफल 4.0693 हैक्टेयर कुल खसरा-04 का कुल क्षेत्रफल 12.1189 हैक्टेयर के बाबत् अपीलार्थी के हित अधिकारों के विपरित प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज किया गया है को अपास्त कर अपीलार्थी का नाम पुनः राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है । वादी का वाद दिनांक 30.7.2025 को वाद को रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी करवाई गयी । दिनांक 22.8.2025 को अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 के तामिलशुदा सम्मन नोटिस प्राप्त हुए । बावजूद तामिली के अप्रार्थी 1 लगायत 6 अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गई । पेरोकार सरकार तहसीलदार अराई से जवाब लिया गया । पेरोकार सरकार तहसीलदार अराई के जवाब अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में जीवित है । अपीलार्थी 1 लगायत 5 तेजू पुत्र रामकिशन जाट के विधिक वारिसान है । प्रत्यर्थीगण का अपीलार्थी तेजू पुत्र रामकिशन जाट (धायल) से कोई सम्बन्ध नही है । ग्राम भोगादीत का नामान्तकरण संख्या 2292 दिनांक 5.9.2024में गलती के कारण निरस्त किया जाना उचित है ।

wb

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि **वाकेग्राम भोगादित, पटवार हल्का भोगादित,** मू.अ.नि.क्षेत्र भोगादित, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान में **खसरा संख्या 437 क्षेत्रफल 0.1052 हैक्टेयर** (किस्म गै.मु.पाल (0.1052), **खसरा संख्या 442 क्षेत्रफल 0.0728 हैक्टेयर (किस्म मै.मु.पाल (0.0728),** खसरा संख्या **443 क्षेत्रफल 7.8716 हेक्टेयर (किस्म बंजर-1 (1.9982), बारानी-1 (0.9304), बारानी-3 (4.5385), बारानी-A (04045),** खसरा नं० **446 क्षेत्रफल 4.0693 हैक्टेयर (किस्म बंजर-1 (1.9982),** बारानी-3 (1. 6989), बारानी-A (0.8414). **कुल खसरा-04 काकुल क्षेत्रफल 12.1189 हेक्टेयर** भूमि के बाबत अपीलार्थी के हित अधिकारो के विपरीत प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज किया गया नामान्तकरण संख्या 2292 दिनांक 5.9.2024 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार अराई को तहरीर जारी की जाती है कि वेअपीलार्थी का नाम पुनः राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद करे ।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिंनाक 3/9/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर **हस्ताक्षरित किया गया ।**

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)